लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
052/2022 (GCMS 2022/256)	10.08.2022	30.08.2022

अनवान

रमेश चन्द्र पिता गणेश लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, गोल प्याऊ चौराहे के पास, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./052/2022(सू.अ.)(24.08.2022)/627 दिनांक 10.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.08.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.08.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 30.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2022 से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वांछित सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/810 दिनांक 22.08.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री रमेश चन्द्र पिता गणेश लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, गोल प्याऊ चौराहे के पास, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 04.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/सतर्कता/7(1–4)आरटीआई/2021/547 दिनांक 02.08.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 08.08.2022 से प्राप्त हुआ हैं, से प्राप्त सूचना दस्ती इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/277 दिनांक 08.08.2022 से प्रार्थी को निःशुल्क भिजवाई गई हैं। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/810 दिनांक 22.08.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/277 दिनांक 08.08.2022 से निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई हैं। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/277 दिनांक 08.08.2022 से अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचनाऐं अपूर्ण हैं एवं उसके द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित सूचना के बिन्दु संख्या 1 से संबंधित संपूर्ण सूचनाऐं उसे उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अतः आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2022 द्वारा वांछित समस्त सूचनाऐं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/277 दिनांक 08.08.2022 से जो सूचनाऐं अपीलार्थी को उपलब्ध कराई हैं, वह पूर्ण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 की सूचनाओं के संबंध में समस्त रेकार्ड का पर्याप्त समय देकर संतुष्टीपूर्वक अवलोकन करा, बाद अवलोकन अपीलार्थी द्वारा सूचनाऐं चिह्नित करने पर अपीलार्थी द्वारा चिह्नित की गई सूचनाओं की प्रति निः शुल्क उपलब्ध कराई जाकर पालना से अवगत कराया जावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **<u>30.08.2022</u>** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
30.08.2022